

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :प.17(1)नविवि/अभियान/2021

जयपुर दिनांक: 19 SEP 2022

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान राजकीय भूमि के नियमन के संबंध में जारी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01.07.2022 के बिन्दु सं. 5 को समक्ष स्तर पर लिए गए निर्णय अनुसार निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :-

5. लीज राशि :-

लीज राशि आवासीय आवंटन दर की 2.5 प्रतिशत गैर-व्यवसायिक प्रयोजन हेतु एवं आवासीय आवंटन दर की 5 प्रतिशत व्यवसायिक प्रयोजन हेतु देय होगी।

नोट :- आवासीय आवंटन दर उक्त आदेश के बिन्दु 4 के अनुसार होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डा. जीगाराम)

शासन सचिव

स्वायत्त शासन विभाग

(कुंजलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
11. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
12. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
13. सचिव, नगरीय विकास विभाग, समस्त राजस्थान।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम